विचार बिन्दु

कहानी जहाँ खत्म होती है, जीवन वहीं से शुरू होता है। – संजीव

शासन तंत्र को पसंद नहीं आता सूचना का अधिकार

संसदीय लोकतंत्र में सूचना का अधिकार इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब देश का नागरिक सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के वास्ते मतदान के लिए जाता है तब सही चुनाव करने में वह तभी सक्षम होता है जब उसके पास पूरी जानकारी हो। इसी से जन-भागीदारी वाला गणतंत्र विकसित होता है और सुशासन की नींव पड़ती है। नागरिकों को सूचना का अधिकार देने में राजस्थान अव्वल रहा जहा पहली बार वर्ष 2000 में इसका कानून बना और अगले साल वह लागू भी हो गया। बाद में वर्ष 2005 में संसद ने भी सूचना के अधिकार का कानून पारित किया। सूचना के अधिकार का कानून सभी सरकारों, स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती-राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर लागू होता है जो सरकार के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा स्थापित, गठित एवं नियंत्रित हो। यह सरकार द्वारा वित्तपोषित ग़ैर सरकारी संगठनों पर भी लागू होता है। इसे एक मूलभूत एवं संवैधानिक अधिकार माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र के प्रभावी संचालन में एक पारदर्शी, ज़िम्मेदार एवं जवाबदेह सरकार के साथ जागरूक नागरिकों का भी अहम हिस्सा होता है।

जब से सूचना पाने का हक़ सीधा नागरिकों को मिला है तभी से शासन व्यवस्था तंत्र और सूचना चाहने वालों के बीच रस्साकशी चलती रही है। इस कानून को अधिक मजबूत बनाने की बजाय कमजोर करने के प्रयास होते ही नज़र आते हैं। बार-बार यह बात सामने आती है कि शासन में बैठे लोग जानकारी आसानी से नहीं देते और उनकी हरचंद यह कोशिश रहती है कि किसी न किसी बहाने से सूचना देने से बचा जाय। राजस्थान में इतने वर्षों बाद भी प्रशासन तंत्र के अधिकारियों की अड़ंगेबाजी के चलते इस क़ानून का वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है जिस कल्पना से विधि निर्माताओं ने इसे बनाया था। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि सूचना उपलब्ध कराने की जिस तीव्र, निर्बाध एवं सुगम प्रक्रिया की बात क़ानून के उद्देश्यों में कही गई है वह व्यावहारिक रूप में कहीं नहीं दिखायी देती। लोक सूचना अधिकारियों की शिथिलता एवं अनिच्छा के कारण लोगों को हर कहीं सूचना पाने में अनावश्यक बाधाओं का सामना करने की खबरें मिलती रहती हैं। मनमाने ढंग से आवेदन निरस्त कर देना, अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जवाब न देना आम है। इसके अलावा आवेदन को लटकाए रखने का रास्ता बना लेने में भी शासन तंत्र प्रखर कौशल रखता है। प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील एवं शिकायतों को सुनने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होने का भी लाभ उठाया जाता है। सरकारी जवाबदेही के लिए सक्रिय लोग मानते हैं कि लोक सूचना अधिकारियों में दुर्भाग्य से यह मानसिकता पनप रही है कि जितने समय में राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील एवं शिकायतें सुनी जाएगी उतने समय में सूचना मांगने वाला खुद ही थक-हार कर भाग छूटेगा। यह स्थिति सूचना का अधिकार क़ानून के उद्देश्यों, भावनाओं तथा प्रावधानों को निरर्थक बना देती है। जन सूचना अधिकारियों के ऐसे व्यवहार के कारण इस क़ानून की धारा 7(1) के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। यह धारा प्रावधान करती है कि लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से या तो उस आवेदन में वांछित सूचना प्रदान करेया या फिर अस्वीकार करेगा। यहां तक कि इस क़ानून की धारा 7(2) यह भी प्रावधान है कि यदि लोक जन सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि में उस आवेदन पर निर्णय लेने में असफल होता है तो यह मान लिया जायेगा कि उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। इसी धारा का ग़लत फ़ायदा उठाते हुए जन सूचना अधिकारियों में आवेदनों को बिना निर्णय किए पड़े रखने की प्रवृत्ति घर कर गई है जिसका परिणाम है बड़ी संख्या में आवेदनों का लंबित रहना। लंबित आवेदनों की प्रति वर्ष बढ़ती संख्या इसकी गवाही देती है। ऑनलाइन आवेदनों के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अब तक कुल 147611 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 36260 आवेदन अभी लम्बित पड़े है। ये आंकड़े सूचना का अधिकार कानून के क्रियान्वयन में साल दर साल बिगड़ती जा रही हालत को दर्शाते हैं। जहां वर्ष 2020 में कुल आवेदनों के 5.34 प्रतिशत आवेदन लम्बित थे वहीं वर्ष 2022 में अभी तक कुल 24.56 प्रतिशत आवेदनों लम्बित हैं। इस तरह देखा जाए तो लम्बित आवेदनों की संख्या में लगभग चार गुना वृद्धि हो गयी है। मात्र दो वर्षों में इतनी वृद्धि को किसी भी जनहितकारी सरकार के कामकाज पर सवालिया चिन्ह ही कहा जा सकता है। लम्बित आवेदनों की संख्या में इतनी बड़ी वृद्धि जन सूचना अधिकारियों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता, दोनों पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है। यह प्रश्नचिन्ह इसलिए भी वाजिब है क्योंकि वर्ष 2022 में 36290 कुल लम्बित आवेदनों में से 33810 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि 93.16 प्रतिशत आवेदन ऐसे हैं जो सिर्फ विभागों के स्तर पर रुके हुए हैं तथा जिन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। यह आंकड़ा सूचना उपलब्ध कराने में जनसूचना अधिकारियों की घोर अरुचि को भी प्रकट करता है। समयावधि के बाद निस्तारित किए जाने वाले आवेदनों की तुलना करने पर भी जन सूचना अधिकारियों का निराशाजनक प्रदर्शन सामने आता है। जहां वर्ष 2020 में कुल आवेदनों के 7.32 प्रतिशत आवेदन समयावधि के बाद निस्तारित किए गए वहीं वर्ष 2022 में अब तक 18.64 प्रतिशत आवेदन ऐसे रहे हैं जिनका निस्तारण निर्धारित समयावधि के बाद किया गया है। ऐसे में यह प्रश्न पूछना जरूरी हो जाता है कि पर्याप्त संसाधनों के बावजूद भी इस लेटलतीफ़ी का क्या कारण हो सकता है? इसका एक बड़ा कारण जो नज़र आता है वह स्पष्ट रूप से है शासन में जवाबदेही की कमी।

जब से सूचना पाने का हक़ सीधा नागरिकों को मिला है तभी से शासन व्यवस्था तंत्र और सूचना चाहने वालों के बीच रस्साकशी चलती रही है। इस कानून को अधिक मजबूत बनाने की बजाय कमजोर करने के प्रयास होते ही नज़र आते हैं। बार-बार यह बात सामने आती है कि शासन में बैठे लोग जानकारी आसानी से नहीं देते और उनकी हरचंद यह कोशिश रहती है कि किसी न किसी बहाने से सूचना देने से बचा जाय।

नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सभ्य समाज का कहना है कि एक स्पष्ट जवाबदेही कानून के अभाव में जन सूचना अधिकारियों का यह प्रदर्शन अपेक्षित ही है। ऐसे कानून के लिए वर्षों से मांग चली आ रही है किंतु सरकार की इच्छाशक्ति के अभाव में अभी तक यह कानून नहीं बन पाया है। हालांकि यह कानून बनाने के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार विधान सभा में अपना इरादा घोषणा कर चुनी है मगर चार वर्ष बाद अब भी यह घोषणा इरादा ही बनी हुई है क्योंकि बताते हैं सचिवालय में बैठे बड़े अधिकारी सभ्य समाज द्वारा दिया गया मसौदा पसंद नहीं करते और उसे पूरी तरह दंतविहीन बना देना चाहते हैं। यह अनिच्छा जनहित से वास्तविक सरोकार रखने वाली नीतियों और क़ानूनों को कमजोर करती है जिसका नुक़सान अंततः देश की जनता को ही भुगतना पड़ता है।

राज्य सूचना आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2020 में खुद यह स्वीकार किया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जिन लोक सूचना अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाये जाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय के लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्धन्यायिक प्रक्रियाओं को आवश्यकता होती है। राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिसों पर भी लोक सूचना अधिकारी सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित नहीं होते है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं। हालत तो इतनी गंभीर है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मुख्य सचिव के आदेश की भी परवाह नहीं की जा रही है। ऐसे में यह और भी जरूरी हो जाता है कि सरकार के एक स्पष्ट जवाबदेही क़ानून को अतिशीघ्र ले कर आये और साथ ही सूचना आयोग भी अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करे ताकि लोक सूचना अधिकारी त्वरित तरीके से सूचना के अधिकार कानून को उसकी भावना के अनुरूप काम करें और समयबद्ध प्रक्रिया की अनुपालना के लिए और कठोर कदम उठाये जायें।

राज्य सूचना आयोग के कामकाज की हालत भी अच्छी नहीं है। वहां दो वर्षों में लंबित प्रथम अपीलों की संख्या में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। यह स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं है तथा भविष्य में अति गंभीर परिणामों की ओर संकेत करती है। प्रथम अपीलों के सम्बंध में वर्ष 2022 के आंकड़ों की सरसरी तौर पर तुलना वर्ष 2020 के आंकड़ों से करने पर एक गंभीर स्थिति सामने आती है। वहां निस्तारित की जाने वाली प्रथम अपीलों की संख्या में वर्ष दर वर्ष कमी आ रही है जबकि लंबित अपीलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां वर्ष 2020 में 13.03 प्रतिशत अपीलें लंबित रहीं थी वहीं पर वर्ष 2022 में लंबित अपीलों की संख्या बढ़ कर 53.88 प्रतिशत हो गयी हैं। यह भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि आयोग में आई कुल अपीलों में से करीब आधी (50.44 प्रतिशत) को ही सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया जबकि 36.54 प्रतिशत अपीलों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही वर्ष 2020 में 13.03 प्रतिशत प्रथम अपीलें लंबित रहीं। आयोग का सरकारी विभाग जैसा रवैया इसलिए है क्योंकि इसमें नियुक्तियां सरकार के शीर्ष नेतृत्व के मरजीदानों की ही होती है। इन हालत को सुधारने की राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है जो नेतृत्व के सत्ता की ऊहापोह में बलवती नहीं हो पाती जिससे नागरिक को सशक्त बनाने वाला कानून बने होने के बाद भी उनका लाभ नहीं मिल पाता। मतदाताओं का दबाव ही शासन तंत्र को लोकहित के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

जयपुर फुट

निरंजन। उसका एक पांव घुटने से नीचे से कटा है जिसमें कृत्रिम पांव लगा है- जयपुर फुट। इसमें टखने और उससे नीचे का पंजा, जिसे अंग्रेजी का 'फुट' कहते हैं, निरंजन ने स्वयं बनाया है। वह सवाई मान सिंह अस्पताल में फुट बनाने का ही काम करता है। पास की कच्ची बस्ती में परिवार के साथ रहता है। मैं ही उसे दुर्लभजी अस्पताल में काम करने के लिए लाया था। डॉ. पी के सेठी एस एम एस अस्पताल से रिटायर हो कर दुर्लभजी अस्पताल में आ गये थे। वे चाहते थे कि यहां भी जयपुर फुट कार्यशाला बने ताकि आगे अनुसंधान हो और उनके काम को और आगे बढाया जा सके। मेरे लिए यह सर्वथा नया विषय था। मुझे अंदाज नहीं था कि जयपुर फुट बनाने की प्रक्रिया इतनी बहुआयामी, बहुस्तरीय और जटिल होती है। मैं सोचता था, टायर रीट्रीडिंग में जैसे सांचे में पका कर रबड़ का टायर बनाते हैं वैसे ही रबड़ का जयपुर फुट बनता होगा। निरंजन को दक्ष हाथों से फुट बनाते देख भ्रम टूटा। अनपढ निरंजन को किसने और कैसे मानव पांव की जटिल संरचना के बारे में समझाया होगा ताकि वह उसी अनुरूप पंजा गढ सके? कृत्रिम पंजा चलने में उसी तरह काम करे। खाली दिखने में ही मानव पांव जैसा नहीं, चलने भी वैसा ही हो। निरंजन पंजा बनाता ही नहीं था वरन् पहन कर उसकी ट्रायल भी करता था। 'जयपुर फुट' लगा कर चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना और पेड़ पर चढना सब करता था। बड़ा सरल स्वभाव व कम बोलने वाला व्यक्ति था परन्तु जो कुछ बताता वह पंजे की डिजाइन सुधारने में बड़ा सटीक व अहम होता था। पंजे में टखने का लकड़ी का ब्लॉक चटक जाता है, अतः वह लेमिनेटेड लकड़ी का बनाया गया। ऐड़ी का रबर का इन्सर्ट दबाव से पिचक जाता है, अतः वह अपेक्षाकृत अधिक दबाव झेलने वाले रबर का होना चाहिए। किस जोड़ पर और कहां पर लचक ज्यादा है और उसे रोकने के लिए टायर कॉर्ड कैसे क्रोस कर लगानी है, वह निरंजन करता, आंकता और दिखाता। चाल में पंजे के अग्र भाग पर जब पूरा जोर पड़े तब उसे मुड़ने से रोकने के लिए एड़ी से उंगलियों तक सख्त टायर कॉर्ड की पांच लम्बी पट्टियां लगाता। फुट का स्टेप-बाई-स्टेप फेब्रिकेशन कर हर स्टेप की अहमियत जब उसने समझाई, तो मैं और मेरे साथी सर्जन आश्चर्य चकित रह गए। एनाटोमी का प्रोफेसर और मानव फुट की 26 हड्डियों की संरचना और 33 जोड़ों का ज्ञाता होने के बावजूद मैं अपने आपको बौना महसूस कर रहा था। जयपुर फुट बनाने में निरंजन का योगदान विलक्षण था। अनपढ, कच्ची बस्ती में रहने वाले निरंजन की, डॉ. पी के सेठी की अवधारणा के अनरूप जयपुर फुट को मूर्तरूप देने में अहम भूमिका थी। डॉ. महेश उदावत, जिनके एम एस थीसिस के अनुसंधान और डिजायन का विषय जयपुर फुट था, के अलावा और प्रयोगशाला के प्रमुख मास्टर रामचंदर का इसे टायर रीट्रीडिंग विधि से क्रियान्वित करने में अहम योगदान था। बड़ी सधी हुई टीम का कार्य था, जिसके प्रणेता व जनक थे डॉ. पी के सेठी। बाद में इसका श्रेय लेने और अहम की पूर्ती के लिए जो बदमजगी और छीछालेदर हुई यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। जयपुर फुट का जनक कौन था यह अगर आप निरंजन से पूछते तो वह कहता, डॉ. पी के सेठी और डॉक्टर सेठी से पूछते तो वे कहते, निरंजन। जयपुर फुट का ब्रांड एम्बेसडर अवश्य निरंजन ही था। वे हमेशा उसे ही आगे करते थे।

डॉ. श्रीगोपाल काबरा

- पैर से दिव्यांग निरंजन एसएमएस के पास कच्ची बस्ती में रहता है और एसएमएस में जयपुर फुट बनाने का काम करता है

विकलांग रोगियों के लिए 'जयपुर फुट' रबर का पंजा नहीं कटे पांव में लगने वाला पूरा पांव था। घुटने के नीचे कटे भाग को पंजे से जोड़ने वाला पांव। इसको बनाने की विधि इतनी सरल थी कि रोगी वैसाखी पर चल कर आता और कुछ ही घंटो में पांव पर खड़ा हो कर चलने लगता। विश्व में अन्यंत्र कहीं भी यह संभव नहीं था। महीनों, सालों का विकलांग जब कुछ ही घंटों में पांव लगने के बाद अपने पांव पर खड़ा होता तो उसके चेहरे के भाव देखने लायक होते थे। इसको बनाने की विधि भी बड़ी मौलिक थी, वैज्ञानिक भी। थान सिंह और राम नारायण दोनों बड़े कुशल कारीगर थे जिन्हें पांव बनाने में दक्षता थी। मरीज के पांव का विधिवत नाप लेते, उसके आधार पर एल्यूमीनियम की शीट पर डिजाइन ड्रा करते, उसे काटते, मोड कर उसे ट्यूब का आकार देते, पीछे से शोल्डर करते और फिर कुशल हाथों से ठोक पीट कर दूसरे पांव के समकक्ष बना देते। जिस फुर्ती और दक्षता के साथ रोगी के सामने वे पांव गढते रोगी को लगता उसका नया पांव सृजित हो रहा है। कटे पांव पर उसको लगा कर देखते, वेट बीयरिंग प्रेसर पोंइन्ट्स पर दबाते, अन्य जगह से उभार कर मरीज के कटे पांव पर उससे पूछ पूछ कर सटीक फिट कर देते। नीचे पंजा लगाते और रोगी को उस पर खड़ा कर देते। आवश्यकता अनुरूप उसमें बदलाव करते और फिर उसे हाथ पकड़ कर चलाते। बैसाखियों पर आया रोगी मात्र दो घन्टे मे पांव पर चलने लगता। कॉनफिडेंस आने पर मरीज स्वयं चलने लगता। एक दो दिन के ट्रायल के बाद उसे रंग रोगन कर दूसरे पांव जैसा बना देते। 'जयपुर फुट' की सफलता में इस पांव की अहमियत पंजे से कम नहीं थी। मरीज के लिए कृत्रिम पांव तो थान सिंह और राम नारायण ही लगाते थे, पंजा बनाने वाला निरंजन तो नेपथ्य में होता था। पांव बनाने में किसी मंहगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती थी। साधारण औजार और दक्ष हाथों का कमाल था यह पांव। यह पांव जिसके कारण जयपुर फुट को विश्वव्यापी स्वीकार्यता मिली। इसे डिजाइन करने में डॉ. सेठी, मास्टरजी और इन आर्टिसन्स की बड़ी भूमिका थी। मूर्त रूप देने में थान सिंह आदि की दक्षता। 'जयपुर फुट' को आम लोगों की आशा, अपेक्षा, सहूलियत और सामर्थ्य के अनुरूप बनाने का श्रेय इन्हीं नेपथ्य के दावेदारों का है। लेकिन इन्होंने कभी कोई दावेदारी नहीं की। न उन्हें किसी सम्मान से नवाजा गया। विकलांगों के चहरे पर कृतज्ञता का भाव ही उनका अपेक्षित सम्मान था।

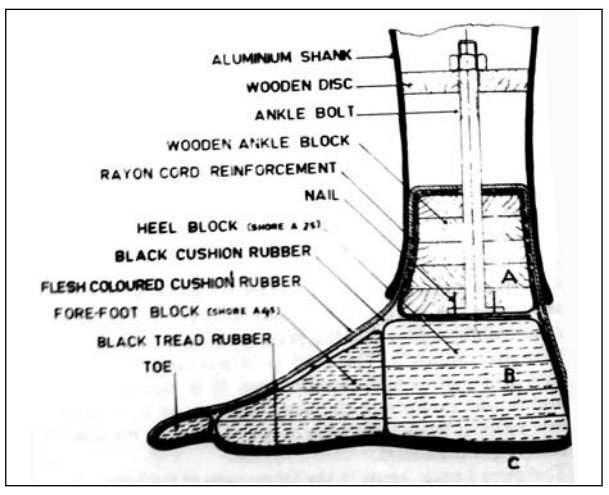

जा की कृपा पंगु गिरी लंघे
जयपुर फुट का ब्रान्ड एम्बेसडर

कुशल सामान्य कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित 'जयपुर फुट' (पंजा लगा पांव) का अपनी तकनीकी सरलता और सहज उपलब्ध संसाधनों के कारण ही विश्वव्यापी प्रचार प्रसार हुआ है। जयपुर फुट की उपयोगिता और सफलता प्रमाणित है। मानक निर्धारित नहीं है। इसी लिए बतौर प्रोस्थेसिस इसे अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों की मान्यता नहीं हैं। इसकी स्वीकार्यता आयुर्वेद व अन्य परम्परागत चिकित्सा विधियों के समकक्ष है। अपेक्षा है इसकी यही विशेषता बनी रहेगी। भय लगता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जाल में फंस कर कहीं उन्नत तकनीक आधारित यह लाखों की प्रोस्थेसिस न बना दी जाय। निरंजन, थान सिंह, रामनायण के हाथों में ही यह सुरक्षित है।

डॉ. श्रीगोपाल काबरा,
वरिष्ठ चिकित्सक, जयपुर

हिण्डौन में सैण्ड स्टोन पर नक्काशी और कारीगरी देख अभिभूत हुए राजदूत

हिण्डौन सिटी (निस)। 6 देशों से आए भारतीय दूतावासों के राजदूत मंगलवार को रीको क्षेत्र में सेंड स्टोन पर नक्काशी और कारीगरी को देखकर अभिभूत हो गए । इस दौरान उन्होंने जिले के सैण्ड स्टोन और कारीगरी को अलग-अलग देशों में पहचान दिलाने का भरोसा दिया। वही व्यापारियों ,अधिकारियों व उद्योगपतियों से उनकी संभावनाओं और समस्याओं के बारे में भी चर्चा की।

उल्लेखनीय है कि भ्रमण के लिए यूक्रेन में भारतीय दूतावास के राजदूत हरीश कुमार जैन, मोरक्को के राजेश वैष्णव, बुलगारिया के संजय राणा, निमिबिया के प्रशांत अग्रवाल, अर्मानिया के किशन दान देवल और साउथ सूडान के विष्णु कुमार शर्मा ने एक जिला एक उद्योग योजना के अंतर्गत हिण्डौन में रीको क्षेत्र का दौरा कर सेंडस्टोन के कारोबार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान वे गायत्री स्टोन कंपनी जिंदल स्टोन व कोमल इंटरप्राइजेज आदि प्रसिद्ध सैण्ड स्टोन व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचे। जहां सैण्ड स्टोन पर हाथ की कारीगरी से की जा रही नक्काशी व मूर्ति तलाशने की कला को देखकर अभिभूत हो गए । उन्होंने इस कारीगरी को अपने कैमरों में कैद कर लिया। इस दौरान गायत्री स्टोन कंपनी के मालिक गोपाल शर्मा व जिंदल स्टोन के मालिक विष्णु जिंदल से रीको उद्योग मंडल के अध्यक्ष शिवकुमार सिंहल ने सैण्ड स्टोन व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी । इस दौरान उन्होंने व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न खूबियों , संभावना और समस्याओं से राजदूतों को अवगत कराया। जिस पर उपस्थित राजदूतों ने आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी 2 दिन बाद गुजरात में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग है । जिसमें उनकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाएगा और व्यापारियों को पूरी मदद का प्रयास किया जाएगा । इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक नारायण सिंह टोंगस, उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार हरसोलिया, पुलिस उपाधीक्षक किशोरी लाल, रीको के आरएम महेश मीणा जिला उद्योग महाप्रबंधक कमलेश मीणा, मीडिया प्रभारी एम इक्वल बबलू आदि मौजूद रहे।

मोरक्को के राजदूत हिण्डौन रीको क्षेत्र में सेंड स्टोन के बारे में जानकारी लेते हुये।

- यूक्रेन, मोरक्को, बुल्गारिया, निमिबिया, अर्मानिया और साउथ सूडान के राजदूतों ने सेंड स्टोन की जानकारी ली

'दान की रद्दी से बनेंगे लिफाफे, पैसा बेसहारा-वृद्धों पर खर्च होगा'

अलवर, (निसं)। घर, दुकान या ऑफिस की रद्दी दान कर आप किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। उसके जीवन को खुश बनाने में मदद कर सकते हैं। इसी मकसद से अलवर शहर के शांतिकुंज में परभ का आसरा के नाम से चल रहे वृद्धाश्रम के जरिए रद्दी दान का अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरूआत मंगलवार से की गई। उद्घाटन के दौरान पूर्व विधायक रामहेत यादव, बनवारी लाल सिंघल, जयराम जाटव व तारीफ सिंह सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे।

वृद्धाश्रम के संचालक तारीफ सिंह ने बताया कि सबके सहयोग से शांतकुंज में 108 मकान नंबर में वृद्धाश्रम चलता है। यहां अभी 22 बुजुर्ग रहते हैं। इनको तनाव से दूर करने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं हैं लेकिन संस्थान में बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और उनको व्यस्त रखने के मकसद से लिफाफे बनाने का काम शुरू किया गया है। रोजाना 200 के आस-पास लिफाफे बनने भी लग गए हैं। तारीफ सिंह ने बताया कि सरकार ने पॉलिथिन बंद कर दी। तब हमारी टीम को यह आइडिया आया कि पॉलीथिन की पूर्ति की जरूरत बाजार में पड़ेगी। क्यों ना लिफाफे बनाने का काम शुरू करें। फिर बुजुर्गों से बातचीत कर इस काम की शुरूआत की गई। करीब 200 लिफाफे रोज बनाते भी हैं लेकिन तब यह नया आइडिया आया कि आमजन की मदद कैसे ली जाए । फिर रद्दी दान लेने का विचार आया। जिसमें हर घर से मदद मिल सकेगी जो रद्दी आएगी उसे बुजुर्गों तक पहुंचाकर लिफाफे बनवाए जाएंगे। ये लिफाफे बेचकर बुजुर्गों के जीवन का सहारा बनेंगे। उनकी सहूलियत बढ़ाई जा सकेगी।

रद्दी दान वाहन को पूर्व विधायक रामहेत यादव ने झण्डी दिखाई।

- परभ का आसरा के नाम से चल रहे वृद्धाश्रम ने शुरू किया रद्दी दान का अभियान

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 19 अक्टूबर, 2022

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2079, पुष्य नक्षत्र प्रातः 8:02 तक, साध्य योग सांय 5:31 तक, गर करण दिन 2:14 तक, चन्द्रमा कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-तुला, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-मिथुन, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-तुला, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

ज्वालामुखी योग दिन 2:14 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 3:09 से गुरूवार सांय 4:05 तक रहेगी।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:22 तक, शुभ 10:47 से 12:12 तक, चर 3:02 से 4:27 तक, लाभ 4:27 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:32, सूर्यास्त 5:51

मेष
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सिंह
मन में असंतोष बना रहेगा। मानसिक तनाव बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आज शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।